

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.3(ख)आर-1340/2013/अलेसे-III/1931

दिनांक :- 03.01.2025

कार्यालय आदेश

अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, श्रीडूंगरगढ़ ने पत्रांक 6938 दिनांक 28.02.2024 के द्वारा सूचित किया है कि श्री रविशंकर जोगी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय पदस्थापन कार्यालय अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, श्रीडूंगरगढ़ द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के कारण राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री रविशंकर जोगी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में श्री रविशंकर जोगी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का मुख्यालय निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर रहेगा। श्री जोगी को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.3(ख)आर-1340/2013/अलेसे-III/1932-38

दिनांक :- 03.01.2025

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प.2(3)वित्त/राजस्व/2020 दिनांक 01.01.2025 के क्रम में प्रेषित है।
2. अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, श्रीडूंगरगढ़।
3. संयुक्त निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री रविशंकर जोगी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय पदस्थापन कार्यालय अधिशायी अधिकारी, नगर पालिका, श्रीडूंगरगढ़।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उप निदेशक(एसीपी) कार्यालय हाजा।
7. पदस्थापन शाखा/ निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)